न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)सदर,
फैजाबाद।
असंबंधित प्रकीर्ण वाद सं०-२५/२०१९

धर्मेन्द्र कुमार----------------------बनाम----------उ० प्र० राज्य सरकार।
दिनांक-२३.१०.२०२०

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र ३क अन्तर्गत धारा-३७२ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ समर्थित शपथ पत्र ४ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि मृतक रामकुमार पुत्र स्व० रामजग उर्फ जग्गे निवासी ग्राम काजीपुर जमीन मलिकपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या की मृत्यु बीमारी के कारण दिनांक-२१.०४.२०१६ को हो गई है। आवेदक मृतक का सगा भतीजा/विधिक उत्तराधिकारी है। धर्मेन्द्र कुमार, श्रीमती संगीता देवी मृतक के निकटतम संबंधी हैं।

मृतक के नाम उपडाकघर खण्डासा फैजाबाद द्वारा जारी किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९३ मु०-१०००/- एवं किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९४ मु०-१०००/- तथा बड़ौदा पूर्बी उ० प्र० ग्रामीण बैंक शाखा-खण्डासा, फैजाबाद के खाता सं०-५४९४०१००००५१५१ के क्रमांक सं०-१५१३१ में मु०-१२,०५७/- इस प्रकार कुल धनराशि मु०-१४,०५७/- की धनराशि देय है। आवेदक बतौर विधिक उत्तराधिकारी मृतक द्वारा छोड़ी गयी उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने की विधिक उत्तराधिकारी है। अतः उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त आपत्ति हेतु सम्मन/नोटिस निर्गत की गयी एवं उ० प्र० सरकार द्वारा कलेक्टर, फैजाबाद तथा हर खासो आम को आपत्ति हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया तथा मुनादी की कार्यवाही सम्पादित करायी गई। परन्तु किसी की तरफ से इस स्तर पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची ८ग के माध्यम से मूलप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, मूलप्रति परिवार रजिस्टर की नकल, मूलप्रति बैंक पास बुक, मूलप्रति किसान विकास पत्र दो किता, मूलप्रति वसीयतनामा तथा मूलप्रति निर्वाचन कार्ड तथा कागज सं०-१०क२ शपथ पत्र शपथी दुखहरन मय छायाप्रति आधार कार्ड पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

आवेदक की ओर से दाखिल मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, किसान विकास पत्र, बैंक पास बुक, मूलप्रति रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक इन्द्र बहादुर पाण्डेय की मृत्यु दिनांक-१०.१०.२०१३ को हो चुकी है तथा दिनांक-०३.०३.२००८ को

मृतक द्वारा अपनी सम्पत्ति का वसीयतनामा रघुवर प्रसाद पाण्डेय के पक्ष में लिखा गया है। इस प्रकार परिवार रजिस्टर व वसीयतनामा से स्पष्ट है कि आवेदक मृतका का विधिक वारिस/भतीजा है तथा इस संबंध में मृतक के भाई व रघुवर प्रसाद पाण्डेय के पिता दुखहरन ने अनापति शपथ पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया है। मृतक के नाम उपडाकघर खण्डासा फैजाबाद द्वारा जारी किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९३ मु०-१०००/- एवं किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९४ मु०-१०००/- तथा बड़ौदा पूर्बी उ० प्र० ग्रामीण बैंक शाखा-खण्डासा, फैजाबाद के खाता सं०-५४९४०१००००५१५१ के क्रमांक सं०-१५१३१ में मु०-१२,०५७/- इस प्रकार कुल धनराशि मु०-१४,०५७/- की धनराशि देय है। आवेदक रघुवर प्रसाद पाण्डेय के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बावत न ही कोई विवाद है और न ही किसी की ओर से कोई आपत्ति है। आवेदक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने पक्ष में जारी किये जाने की याचना किया है।

उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि आवेदक रघुवर प्रसाद पाण्डेय मृतक इन्द्र बहादुर का भतीजा/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र ३क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ३क स्वीकृत। मृतक के नाम उपडाकघर खण्डासा फैजाबाद द्वारा जारी किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९३ मु०-१०००/- एवं किसान विकास पत्र स०-६० AB ९२७०९४ मु०-१०००/- तथा बड़ौदा पूर्बी उ० प्र० ग्रामीण बैंक शाखा-खण्डासा, फैजाबाद के खाता सं०-५४९४०१००००५१५१ के क्रमांक सं०-१५१३१ में मु०-१२,०५७/- इस प्रकार कुल धनराशि मु०-१४,०५७/- की धनराशि मय ब्याज के बावत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदक रघुवर प्रसाद पाण्डेय के पक्ष में जारी हो। मुंसरिम उक्त धनराशि पर न्याय शुल्क के बावत अपनी रिपोर्ट देवे। इस बावत यदि कोई विपरीत आदेश अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो तो वर्तमान आदेश उस आदेश के अधीन होगा। आवेदक द्वारा इस संबंध में तीस हजार रूपये की अण्डरटेकिंग दाखिल की जाये कि उत्तराधिकार से संबंधित धनराशि के बावत भविष्य में किसी के द्वारा विवाद किये जाने की स्थिति में उक्त अण्डरटेकिंग की धनराशि न्यायालय में जमा की जायेगी। प्रस्तुत स्टाम्प पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदक रघुवर प्रसाद पाण्डेय के पक्ष में जारी हो।

सिवलि जज(जू०डि०)सदर,
फैजाबाद।
J.O.Code-२२३८